



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-20082025-265535
CG-TL-E-20082025-265535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3687]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947

No. 3687]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3791(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में “येर्पेडु-पुडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.)” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), श्रीकालहस्ती, तिरुपति जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), श्रीकालहस्ती, तिरुपति जिला, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी की जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना, येपेंडु-पुडि स्टेशनों के बीच बाईपास लाइन (25.36 किमी.) के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना, येपेंडु-पुडि स्टेशनों के बीच बाईपास लाइन (25.36 किमी.).

गांव : कोबाका				मंडल : येपेंडु				जिला : तिरुपति		
क्रम सं.	उप मंडल के साथ सर्वेक्षण सं.	कुल क्षेत्र एकड़ सेंट	अधिग्रहण का क्षेत्र एकड़ सेंट	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/सरकारी भूमि का विवरण	सीमाएं				पेडों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्तियाँ (सरकारी/पट्टा / डीकेटी)
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	330/12ए (वैबलैंड सर्वेक्षण सं.330/12 ए एवं 330/12डी के अनुसार)	2.12	0.04	1. एम.कृष्णय्या सुपुत्र चिन्नदोरास्वामी, 2.एम.राममूर्ति सुपुत्र नारायण	330/2बी	331/2	331/2	330/15ए		जीडी
2	330/15ए (वैबलैंड के अनुसार 15ए)	0.81	0.14	1.एम.मुनस्वामी सुपुत्र चिन्नदोरास्वामी	330/5बी	330/2	330/2ए	330/16ए		जीडी
3	330/16ए (वैबलैंड के अनुसार 330/16सी1)	1.2	0.36	1.मुनगला सरोजम्मा पत्नी रामनाथम	330/15बी	331/2	330/15ए	331/2		जीडी
4	330/17ए (वैबलैंड के अनुसार 330/17)	0.11	0.01	एम.मुनस्वामी सुपुत्र चिन्नदोरास्वामी	330/17बी	331/2	330/16ए	330/23ए		जीडी
5	330/23ए (वैबलैंड के अनुसार 330/23)	0.24	0.01	1. एम.मुनस्वामी सुपुत्र चिन्नदोरास्वामी	330/23बी	331/2	330/17ए	340		जीडी

6	331/2 (वैबलैंड सर्वेक्षण सं. 331/1ए1/1ए, 331/1ए1/2, 331/1सी, 331/1एच1/1ए, 331/1जी,331/1 सी 331/ई2 के अनुसार)	8.06	2.16	1.के.सुपर्णा सुपुत्री के.आनंद रेड्डी, 2.के.सुब्बम्मा पत्नी गुरवारेड्डी, 3.एम.वनजा पत्नी गोपाल, 4.के.पद्मम्मा पत्नी राजारेड्डी, 5.आर मुनिरामय्या सुपुत्र कृष्णा रेड्डी, 6.ए.मुनिरेड्डी सुपुत्र कृष्णा रेड्डी, 7.रजनी	331/3	331/1	335	340	जीडी
7	335/2	2.08	0.72	नहर	335/3	335/1	वी.सं. 32 मडवमाला	331/1,2,3	जीपी
8	340/2	152.00	3.96	स्वर्णमुखी नदी	340/3	340/1	331/2	वी.सं. 37, एम.डी. पुत्तूर	जीपी
कुल क्षेत्र		एकड़ 7.40 सेंट							

[फा. सं. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20A/010825/01]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad , the 1st August, 2025

S.O. 3791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as in as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution of the Special Railway Project namely, “Bypass line between Yerpedu–Pudi stations (25.36 Km.)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer (land acquisition), Srikalahasthi, Tirupati district in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority namely Revenue Divisional Officer (land acquisition), Srikalahasthi, Tirupati district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km.) in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh.

Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km) for passenger and freight facility.

Village: Kobaka				Mandal: Yerpedu		District: Tirupati				
Sl No.	Survey no.with sub division	Total Extent Ac Ce	Extent Under Acquisition Ac Ce	Name and address of the person interested/Details of Govt.	Boundaries				Details of trees , Structures etc. if any	Remarks (Govt./Patta/DKT)
					East	West	North	South		
1	330/12A(As per webland Sy.no 330/12A and 330/12D)	2.12	0.04	1.M.Krishnaiah S/O Chinnadoraswami, 2.M.Raamurthy S/O Narayana	330/2 B	331/2	331/2	330/15 A		GD
2	330/15A (As per webland 15A)	0.81	0.14	1.M.Munaswami S/O Chinnadoraswami	330/5 B	330/2	330/2A	330/16 A		GD
3	330/16A (as per Webland 330/16C1)	1.2	0.36	1.Munagala Sarojamma W/O Raamanaadham	330/1 5B	331/2	330/15 A	331/2		GD
4	330/17A (As per Webland 330/17)	0.11	0.01	1.M.Munaswami S/O Chinnadoraswami	330/1 7B	331/2	330/16 A	330/23 A		GD
5	330/23A (As per webland 330/23)	0.24	0.01	1.M.Munaswami S/O Chinnadoraswami	330/2 3B	331/2	330/17 A	340		GD
6	331/2 (As per webland Sy.no 331/1A1/ 1A, 331/1A1/ 2, 331/1C, 331/1H1/ 1A, 331/1G,3 31/1C 331/E2)	8.06	2.16	1.K.Suparna D/O K. Aanandh Reddy, 2.K.Subbamma W/O Guravaa reddy, 3.M.Vanaja W/O Gopaal, 4.K.Padhmamma W/O Raajareddy, 5.R.Muniraamay ya S/O Krishnaa reddy, 6.A.Munireddy S/O Krishna reddy, 7.Rajani	331/3	331/1	335	340		GD

7	335/2	2.08	0.72	Canal	335/3	335/1	V.No 32 Madava mala	331/1,2, 3		GP
8	340/2	152.00	3.96	Swarnamuki River	340/3	340/1	331/2	V.No 37, M.D. Puttur		GP
Total Extent		Ac 7.40 Ce								

[F. No. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20A/010825/01]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer / Construction-III